भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1179

उत्तर देने की तारीख- 28/07/2025

सोमवार, 6 श्रावण, 1947 (शक)

स्वावलंबिनी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम

1179. श्री भोजराज नाग:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री पी.पी.चौधरी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री बिधुत बरन महतो:
श्री यदुवीर वाडियार :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री भर्तृहरि महताब :
डॉ. हेमांग जोशी :
श्री गोडम नागेश :
सुश्री कंगना रनौत:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री मनोज तिवारी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और छात्रों की संख्या छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में विशेष रुप

से मंडी और महाराष्ट्र में विशेष रुप से पालघर जिले और जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) इस संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) से एचईआई में महिला उद्यमिता मार्गदर्शन की दीर्घकालिक स्थिरता में किस प्रकार योगदान मिलने की उम्मीद है और भविष्य में इस कार्यक्रम को और अधिक क्षेत्रों, संस्थानों, आकाक्षीं जिलों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी अल्पसेवित क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना/रोडमैप क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), उद्योग के साथ साझेदारी, इंटर्नशिप और व्यावसायिक मॉड्यूल के संबंध में प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में महिला उद्यमिता, कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना में सभी राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और केंद्र तथा राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों के बीच साझा किए जाने वाले वित्तीय अंशदान का अनुपात क्या है; और

(च) क्या यह योजना क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने और सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने में मदद कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता के साथ मिलकर, ज्ञान भागीदार के रूप में, फरवरी 2025 में असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के छह उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई)/विश्वविद्यालयों में एक पायलट परियोजना के रूप में स्वावलंबिनी - एक महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम - का शुभारंभ किया । मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है ।

स्वावलंबिनी परियोजना युवा महिलाओं को विचार-मंथन से लेकर सफल उद्यम निर्माण तक के सफर में मदद करने के लिए एक संरचित, बहु-चरणीय प्रशिक्षण चलाती है। इस परियोजना का उद्देश्य छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है, और उन्हें

उद्यमशीलता को करियर के रूप में अपनाने के लिए आवश्यक उपलब्ध सहायता तंत्रों, योजनाओं, संसाधनों और नेटवर्क के बारे में जागरूक करना है।
स्वावलंबिनी परियोजना के लक्षित समूह में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों की 1200 छात्राएँ शामिल हैं, जो उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) के माध्यम से उद्यमशीलता जागरूकता पर एक परिचयात्मक कार्यक्रम में भाग लेंगी । इनमें से, ईएपी प्रतिभागियों में से चयनित 600 छात्राएँ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) में भाग लेंगी, जिसमें कौशल विकास, वित्त तक पहुँच, बाज़ार संपर्क, अनुपालन और कानूनी सहायता, व्यावसायिक सेवाएँ और नेटवर्किंग के अवसर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलुओं को शामिल करते हुए गहन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रतिभागियों को अपने विचारों को स्थायी उद्यमों में बदलने में मदद करने के लिए 21 सप्ताह का सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम के निष्पादन, पर्यवेक्षण और निगरानी की देखरेख करेगा, जबकि नीति आयोग कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करेगा, प्रारंभिक वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करेगा और अवार्ड टू रिवार्ड (एटीआर) पहल के माध्यम से सफल उद्यमियों को मान्यता देगा।

मार्गदर्शन और सहयोग के दौरान, उद्योग जगत के अग्रणी और सफल उद्यमी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन और व्यावहारिक सहायता प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करेंगे। सफल उद्यमियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें वे उन चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे जिनका उन्होंने सामना किया और अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर प्रकाश डालेंगे।

दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, इस कार्यक्रम में एक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) भी शामिल है, जहाँ भाग लेने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य पाँच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र से गुजरेंगे। यह पहल शिक्षकों को अपने संस्थानों में महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करेगी।

पायलट परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों का कार्यक्रम-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

कार्यक्रम का नाम	**कुल लक्ष्य**	**कुल प्रशिक्षित**
संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)	75	43
उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)	1200	996
उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)	600	139

पायलट परियोजना के तहत दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों का राज्य-वार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	कार्यक्रम का नाम (कुल प्रशिक्षित)		
	एफडीपी	ईएपी	ईडीपी
असम	9	-*	-*
मेघालय	8	161	-*
मिजोरम	10	244	-*
उत्तर प्रदेश	13	441	139
तेलंगाना	3	150	-*
कुल	**43**	**996**	**139**

*एफडीपी, ईएपी और ईडीपी अगस्त 2025 से शुरू होने वाले हैं ।

पायलट स्वावलंबिनी कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर, उच्च शिक्षा मंत्रालय में उद्यमशीलता के ज्ञान को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा मंत्रालय के व्यापक नेटर्वक के लिए स्वावलंबिनी कार्यक्रम को बढ़ाने की व्यवहार्यता का आकलन करेगा, जिससे युवा महिलाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनने और भारत के नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तत्रं में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

*****